



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रतिष्ठित एव प्रकीर्ण  
PUBLISHED BY AUTHORITY

क्र. 16]  
क्र. 16]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 2000/चैत्र 26, 1922  
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 2000/CHAITRA 26, 1922

इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सचिवालय कार्रवाई और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

कार्यालय—जायपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय  
जायपुर, 27 मार्च, 2000  
(सीमा शुल्क)

क्र.सं. 2/सी. जू. (एन.टी.) 2000

क्र.सं. 818.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की  
सं. 152 के खण्ड (ए) के तहत भारत सरकार,  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना  
क्र. 33/94 सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक प्रथम जुलाई  
1994 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
दलवीर सिंह, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जायपुर-प्रथम  
द्वारा अतः प्रतिशत ई.ओ.ए. स्थापित करने के उद्देश्य  
से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अन्तर्गत

GI/2000-1

(3/12)

राजस्थान राज्य के झुलवर जिले में स्थित ग्राम माँढण  
तकनीक बहरोड की प्रमुख स्थिति (वेयर हाउसिंग स्थिति)  
घोषित करता है।

[क्र.सं. V (16) सी.जू./2/2000]

दलवीर सिंह, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE COMMISSIONER

CENTRAL EXCISE

Jaipur, the 27th March, 2000

(CUSTOMS)

No. 2/Cas(NT)2000

S.O. 818.—In exercise of the powers conferred  
by notification No. 33/94-Customs (NT), dated the  
1st July, 1994, by the Government of India, Ministry  
of Finance, Department of Revenue, New Delhi,



नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2000

का.पा. 830.—दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 (1948 का 16) की धारा 10(क) उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के परामर्श के बाद केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग-1 में निम्नलिखित और संशोधित करती है नामतः—

उक्त अनुसूची के भाग-1 में मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार) की क्रम संख्या 37 और उसमें संशोधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जावेंगी नामतः—

37. मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार)	(i) दंत शस्त्र चिकित्सा स्नातक	बी.डी.एस. मगध
यह ग्रहंता बी.घार, अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ़ डेंटल साइंसेज एवं अस्पताल, पटना के बी.डी.एस. छात्रों के संदर्भ में एक मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा ग्रहंता होगी यदि यह 9 मार्च, 1999 को अथवा उसके बाद प्रदान की गई होगी।		

[संख्या दो. 12018/3/99-पी.एम.एस.]  
एस.के. राव, निदेशक

New Delhi, the 4th April, 2000

S.O. 830.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 10 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Central Government, after consulting the Dental Council of India, hereby makes the following further amendment in Part-I of the Schedule to the said Act, namely:—

In Part-I of the said Schedule at serial number 37 of Magadh University, Bodh Gaya (Bihar) and the entries relating thereto, the following entries shall be added, namely:—

37. Magadh University, Bodh Gaya (Bihar).	(i) Bachelor or Dental Surgery. This Qualification shall be a recognised dental qualification in respect of BDS students of B.R. Ambedkar Institute of Dental	B.D.S. Magadh
---	---	---------------

965 GI/2000-2

Sciences & Hospital, Patna when granted on or after 9th March, 1999.

[No. V-12018/3/99-PMS]  
S. K. RAO, Director

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(राजभाषा अनुभाग)

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2000

का.पा. 831.—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालय जिसमें 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
विदेश संचार भवन  
1/18 सी.आई.टी. स्कीम, 7 एम  
उत्ताङगा कलकत्ता-700054

[सं. ई-11016/1/99-रा.भा.]

कैलाश दत्ता, उप-निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(Official Language Section)

New Delhi, the 21st March, 2000

S.O. 831.—In pursuance of rule 10(4) of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies following office under the administrative control of Ministry of Communications, Department of Telecommunications where of more than 80 per cent staff have acquired working knowledge of Hindi.

Videsh Sanchar Nigam Limited  
(A Govt. of India Enterprise)  
Videsh Sanchar Bhawan  
1/18, C.I.T. Scheme VII M  
Uttadanga, Calcutta-700054.

[No. E. 11016/1/99-O.L.]

KAILASH DUTTA, Dy. Director (O.L.)